राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर

क्रमांकः— 16 दिनांकः—11.06.2009

निविदा सूचना

आयोग कार्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के उपयोगार्थ लगभग दस लाख क्राफ्ट पेपर मुद्रित विन्डो लिफाफे (70 जी.एस.एम पेपर,साईज 10''×5''एवं विण्डो 2''X4'') की समय समय पर आवश्यकता हैं। जिसके लिए प्रतिष्ठित स्टेशनरी डीलरों/एजेन्टो /पेपर मर्चेन्ट आदि जो स्टेशनरी व्यवसाय से जुडे हो एंव इस हेतु वैटकर के अन्तर्गत पजीकृत हो,से खुली निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदाऐं सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को दिनांक 07.07.2009 को सांय 3.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। निविदा उसी दिन सांय 4.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एंव इसकी आवश्यक शर्ते रूपयें 100/—(अक्षरें रूपये सौ मात्र) नकद जमा करवाकर आयोग कार्यालय से दिनांक 07.07.2009 दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। कालतिरोहित निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा। विस्तृत निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्ते आयोग की वेबसाइड http.www.rpsc. gov.in. पर भी उपलब्ध हैं, जिसे डाडन लोड किया जा सकता हैं। वेबसाइड से डाडन लोड किये गये निविदा प्रपत्र एवं इसकी आवश्यक शर्ते आयोग में प्रस्तुत करते समय इसके शुल्क की राशि रूपयें 100/— का बैंक ड्राफ्ट संलग्न प्रस्तुत करना होगा। साथ ही निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र के साथ 6000/— रूपयें बयाना राशि का डी.डी./नकद द्वारा सचिव , राजस्थान लोक सेवा आयोग , अजमेर के पक्ष में जमा कराकर प्रस्तुत करना होगा ।

उपसचिव

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

निविदा प्रपत्र

टेण्डर फार्म नः
अन्तिम दिनांक :–

1. विन्डों लिफाफे क्रय करने (वस्तुओं का नाम जिनके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है) के लिए निविदा ।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता
3. किसको सम्बोधित किया गया – राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सन्दर्भ :– निविदा सूचना सख्या ....दिनांक...............................
5. निविदा शुल्क की राशि 100/– नकद रसीद संख्या.......................दिनांक............................... द्वारा/डी.डी./बैकर चैक संख्या............................के द्वारा जमा करा दी गयी हैं।
6. हम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी निविदा संख्या..................दिनांक........ ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा सलंग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठो पर उनमें उल्लिखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकारकिए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए है।
7. निम्नलिखित मदों की सप्लाई के लिए दरें निम्न प्रकार होगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गयी है :–

क्र. स.	वस्तु का नाम मय विशेष विवरण स्पेसिफिकेशन	केवल मूल कीमत समस्त अन्य लेवियो उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय वैट कर,चुगी कर(यदि कोईहो) कार्टेज, पैकिग आदि का पूथक से उल्लेख किया जाएगा। किन्ही डिस्काउण्टों एंव अन्यो का भी विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाएगा।	शुद्व मूल्य प्रति हजार	मात्रा अनुमानित
1.	2.	3.	4.	5.
1.	काफ्ट पेपर मुद्रित विन्डो लिफाफे 10''×5''साइज 70 जी.एस.एम पेपर (विन्डो 2''×4'' साइज का होगा)			10.00 लाख

8. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से आदेश मे उल्लेखित की गई अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी आयोग कार्यालय में कर दी जावेगी ।
9. बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या ....जो बैक का नाम पर आहरित किया गया है। नकद रसीद संख्या.......................... दिनांक.........................रूपयें ..../–के लिए बयाना राशि के पेटे सलंग्न किया जाता है । जमा करायी गई अमानत राशि का उल्लेख निविदा के बन्द लिफाफे पर अंकित करें ।
10. इसके साथ वैट कर पंजीयन प्रमाण पत्र/पेन नम्बर प्रस्तुत किये जाते है ।
13. लिफाफे का नमूना संलग्न करना होगा। निविदादाता यदि चाहे तो लिफाफे का नमूना का आयोग कार्यालय में कार्यालय समय में आकर अवलोकन कर सकते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

निविदा एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी—निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1 निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।

2 वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers)द्वारा निविदाए—निविदाएं मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अत वे एस.आर.प्रारूप 3 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

3 (I) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से,फर्म के पहले सदस्य को मूक्त नहीं किया जाएगा।

(II) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं केता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (Discharge) होगी।

4 वैट कर पंजीयन डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थ्ति है,यदि राज्य में प्रचलित वैट कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। वैट कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा इसके अभाव में निविदा को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही पेन नम्बर अवश्य देने होंगे ।

5 निविदा प्ररूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जायेगा । पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

6 दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्वियां करनी हों तो स्पष्ट रूप

से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान वैट कर एवं केन्द्रीय वैट करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए।

7 दरें गन्तव्यि स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्वत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिए। किन्तु चुंगीकर,केन्द्रीय/राजस्थान वैट कर को शमिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानिय प्रदायों सप्लाइज के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा कॉर्टेज या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग किे लिए होते हैं, इन पर चुंगीकर (ऑक्टाय) का भुगतान नहीं किया जाता है। अत इन दरों में चुंगी कर एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुन बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने को हैं,तो इन दरों में चुंगीकर (ऑक्टाय) एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व की दशा में विहित प्ररूप में एक प्रमाण पत्र सप्लाई आदेश के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

8 (i) दरों की तुलना—राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों द्वारा जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान के लिए अधिकृत नहीं हैं, निविदत्त दरें की तुलना करने में, राजस्थान वैट कर की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय वैट कर को इसमें शामिल किया जाएगा।

(ii राजस्थान के भीतर की फर्मों के सम्बन्ध में दरों की तुलना करते समय,राजस्थान वैट कर की राशि को शामिल किया जाएगा।

9 मूल्य अधिमान—मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय राजस्थान के उध्धोगों को अधिमानता नियम, 1995 के अनुसार दी जाएगी।

10 विधि मान्यता—निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

11 अनुमोदित प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा,स्पेसीफिकेशन,साइज,मेक एवं ड्रांईग्स आदि की सावधानीपूर्वक जांच करली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग,स्पेसीफिकेशन,ड्राइंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो,तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12 ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे सब लैट पर नहीं देगा।

13 विशेष विवरण स्पेसीफिकेशन्स –

(I) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार अपेक्षा की गयी हो,उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

(II) तारा चिन्ह से अंकित/क्रम संख्या ––––––––पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय,अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थों के मामले में जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूना न हो, अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/क्रेतासमिति का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप हैं, तथा क्या वे सैम्पुल, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।

(III) वारंटी एवं गारंटी का खंड–निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से ––––––––दिनों/माहों की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि––––––––––दिनों/माहों की उक्त अवधि में,

उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा) , तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रदद करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया है, बदल देगा,अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

4 मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड III में उल्लिखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारण्टीकृत अवधि में पुर्जों को बदलेगा या किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में उन्हें वैसा पाया जाएगा ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता

मशीनों एवं उपकरणों को भी बदलेगा यदि वे दोषपूर्ण पाये जाएं कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

5 क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसी शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएंगी, वार्षिक रखरखाव मेंटीनेंस एवं मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्टस एवं उपकरणों की नियमित समुचित सप्लाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा चाहे वे मशीनें या उपकरण वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन हों या अन्यथा हों। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा । क्रेता अधिकारी अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्टस खरीदना पसन्द कर सकेगा।

14. निरीक्षण

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्त्ता के परिसर में जाएगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जायगा, किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एवं वर्कशाप का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा । उन डालरों के मामले में जो व्यवसाय के नए रूप में प्रविष्ट हुए हैं, उन्हें बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

15 सैम्पल : अनुसूची में अंकित वस्तुओं के लिए निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाऐंगे । ऐसे सैम्पुल, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाऐंगे तो कार्यालय में प्राप्त किए जाऐंगे । सैम्पुल प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक सैम्पुल के लिए एक रसीद दी जाएगी । यदि ये सैम्पुल ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी.आर. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए । केटरिंग/खाद्य पदार्थों के नमूने प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैले में निविदादाता के मूल्य से रखे जाने चाहिए ।

16 प्रत्येक सैम्पुल या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बांध कर उसे उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जाएगा तथा उस पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाऐंगे ।

17 अनुमोदित सैम्पुलोंको संविदा के समाप्त होने के छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा । इस अवधि में इन सैम्पुलों को प्रतिधारित (Retained) किया जाएगा परन्तु उसमें किसी भी क्षति, टूट–फूट, परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं हागी । निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा सेम्पलों को वापस लिया जायेगा । सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी । संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि नौ माह की अवधि के भीतर कोई सैम्पल प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें

सरकार द्वारा समपहृत (Forefeit) कर लिया जायेगा तथा उनकी लागत आदि के लिये कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

18 असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा । जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उसमें किसी भी प्रकार की क्षति, टूट–फूट या परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी । जो नमूने वापस नहीं लिए जाऐंगे उन्हें समपहत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

19 सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनरूप हैं । जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहां पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा ।

20 **सैम्पुल निकालना (Drawing of samples)** :– परीक्षणों के मामले में निविदादाता या उसके प्राधिकत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में सैम्पुल लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा । उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा,एक या दो सैटों का प्रयोगशालाओं एवं /या परीक्षण गहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट सन्दर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा ।

21. **परीक्षण प्रभार** :– परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे । यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार नहीं हैं, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे ।

22 **रद्द करना (Rejection)** :– (1) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वंय की लागत पर बदला जाएगा ।

(।।) तथापि,यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (feasable) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा । इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी ।

23 रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि,कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की

जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझें, बेचने का अधिकार होगा ।

24 निविदादाता उचित पैंकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र,रेल,सडक या वायुयान द्वारा द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें । किसी प्रकार की हानि, क्षति टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा । इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी ।

25 प्रदाय हेतु संविदा को , यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं ,तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate)कर सकता हैं। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

26 निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना

एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी । ,

27 (1) सुपुर्दगी अवधि : निविदादाता जिसकी निविदा की स्वीकार जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से की आदेशानुसार अवधि के भीतर, आदेशानुसार तक निम्न प्रकार सामान की सप्लाई करने की करने की व्यवस्था करेगा :–

क्रम संख्या	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि
		आदेशानुसार	आदेशानुसार

(2) मात्रा की सीमा–आदेश को फिर से देना : यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता हैं तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा । पुनः आदेश (Repeat orders) भी निविदा में दी गयी शर्तो पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी । यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता हैं तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी ।

यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता हैं या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता हैं, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा ।

28 बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी):

(क) निविदा के साथ 6000/– रूपये की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी । इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा । यह राशि सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा करायी जानी चाहिए ।

(1) नकद–शीर्ष '"8443–सिविल निक्षेप–103 प्रतिभूति निक्षेप'" के अन्तर्गत टेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए ।

(2) शिडयूल बैंक का बैंक डाफट/बैंकर्रा चैंक/नकद

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money) : असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी

(ग) बयाना राशि से छूट : उन फर्मो को जो निदेशक,उघोग विभाग,राजस्थान के पास पंजीकृत हैं उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई हैं , उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर,निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी ।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं ।

(ड.) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्व की गयी या संविदाओं के पूर्ण हो जानें के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा । तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता हैं तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं ।

29 बयाना राशि का समपहरण : बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में सहपह्नत कर लिया जाएगा –

(1) जब निविदादाता निविदा खोलते के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता हैं या उसमें उपान्तरण (Modification) करता हैं ।

(2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हों ।

(3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो ।

(4) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो ।

30 (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and security deposit) :-

(1) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएं स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी । यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी हैं, 15 दिन के भीतर जमा करायी जावेगी ।

(2) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा । प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी ।

(3) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(4) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें –

(क) नकद डाफ्ट/बैकर चैक/चालना की रसीदी प्रति

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (Pledge) रखा जाएगा ।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत ाष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, डिफेंस सेविग्स सर्टिफिकेट्स ,किसान विकास पत्र या कोई अन्यस्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो । इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेंण्डर वेल्यू)पर स्वीकार किया जाएगा ।

(5) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता हैं तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो,तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्व कोई देय बकाये (Outstanding dues) नहीं हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा ।

(2) (1) निदेशक, उघोग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकत फर्मो को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उघोग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर, बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनमानित मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी ।

(2) (11) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें ।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा –

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हों ।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढग से करने में असफल रहा हो

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिसदिया जाएगा । इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी ।।

31 (1) समस्त माल रेलवे या गुडस ट्रांसपोर्ट के जरिए भाडा चुका कर भेजा जाएगा । यदि सामान भेज दिया जाता हैं तथा उसका भाडा चुकाना हो, तो प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाडे के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी ।

(2) आर आर (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए ।

(3) यदि केता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल का भाडा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा ।

(4) भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार ;(Remittance charges) द्वारा वहन किए जाएंगे ।

32 बीमाः

(1) सामान्य गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे । यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे—युद्व, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(2) यदि केता द्वारा चाहा गया हो तो केता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जाएगा । ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए ।

33 भुगतान :

(1) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा । यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुडस ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो किए जाने पर दिया जाएगा । अवशेष राशि का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निविदादाता को नहीं दिए गए उस सम्बन्ध का प्रमाण पत्र निरीक्षण के समय पृष्ठांकित किए जाने पर दिया जाएगा ।

(2) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा केता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(3) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा ।

(4) उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथ हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होगे ।

34 (1) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदों सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा ।

(2) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages) : परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वद्वि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा हैं –

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत

(घ) विहत अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

(2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा

(3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी ।

(4) यदि प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्वि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया हैं। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

(5) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।

35 वसूलियां : परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी । कम सप्लाई, टूटफूट,रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता हैं तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्वीडेटेड डेम्रेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाऐगी । यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

36 निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वंय की व्यवस्था करनी चाहिए ।

37 यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्व कर दिया जाएगा । किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो

38 क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्व करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा ।

39 निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति ।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्टार ऑफ फमर्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एव उसका वर्ष ।

(3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर ।

(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ।

40 यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation) आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिटेटर) के रूप में अपनें वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा । यह उप अधिकारी इस संविदा से सम्बन्द नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

41 समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नही की जाएगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूॅ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिये निविदा दी है, उनका /उनके/मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेन्ट हूॅ/हैं ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सम्पहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्ध कर दिया जायेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुबन्ध पत्र

1 यह करार आज दिनांक माह ,2009 को एक ओर मैसर्स ....जिसे इसके पश्चात् अनुमोदित सप्लायर कहा गया है इस अभिव्यक्ति में जहां सन्दर्भ के अनुकूल को उसके वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक तथा प्रशासक सम्मिलित समझे जायेंगे और दूसरी ओर राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिसे इसमें इसके पश्चात् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर कहा गया है । जिस अभिव्यक्ति में जहां सन्दर्भ में अनुकूल हो उसके उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांतरिती सम्मिलित समझे जायेंगे, के बीच में सम्मपन किया गया है ।

2 चूंकि अनुमोदित सप्लायर राजस्थान राज्य के राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उसके कार्यालय स्टोर में निम्नलिखित सभी सामग्री को निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिये गये तरीके से उनके सामने अंकित दरों पर सप्लाई करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग से सहमत हो गया है :–

क्र.स.	वस्तु का नाम मय विशेष विवरण स्पेसिफिकेशन	अनुमोदित दर	विशेष विवरण
1.	काफ्ट पेपर मुद्रित विन्डो लिफाफे 10''×5''साइज 70 जी.एस.एम(विन्डो 2''×4'' साइज का होगा)		कर अतिरिक्त

नोट :– उक्त दरें में कर अतिरिक्त हैं तथा सप्लाई आयोग कार्यालय में करनी होगी ।

3 चूंकि अनुमोदित सप्लायर ने रूपये रसीद नं. दिनांक द्वारा उपर्युक्त करार में यथावत पालन के लिए प्रतिभुति राशि के रूप में जमा करा दी है ।

4 अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है :–

(1) बिन्दु संख्या 2 में दी गई सामग्री उससे सामने अंकित दरों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित सप्लायर राजस्थान लोक सेवा आयोग, कार्यालय अजमेर में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त सामग्री विधिवत् सप्लाई करेगा ।

(2) निविदा सूचना संख्या दिनांक से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तों को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझाा जायेगा तथा ये इस करारपत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी ।

(3) निविदा दाता से प्राप्त निविदा प्रपत्र एवं पत्र तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए पत्र संख्या 01 भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे ।

5 राजस्थान लोक सेवा आयोग एतद् द्वारा स्वीकार करता है यदि अनुमोदित सप्लायर उक्त सामग्री को उपर्युक्त तरीके से विधिवत् सप्लाई करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के माध्यम से अनुमोदित सप्लायर को उक्त शर्तों में दिए गये समय पर तथा तरीके से प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का नकद भुगतान करेगा या भुगतान करायेगा ।

6 माल की सुपुर्दगी सप्लाई आदेश के अनुसार करनी होगी ।

7 (1) यदि परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो सप्लाई न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जायेगी ।

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए 5.0 प्रतिशत
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई के अनधिक के लिए 7.5 प्रतिशत
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10.0 प्रतिशत

(2) 1. विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम को छोड़ दिया जायेगा ।
2. स्वीकार की गयी और निर्धारित क्षति की अधिकतम् राशि 10 प्रतिशत होगी ।
3 यदि सप्लायर किसी प्रकार की आधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को आवेदन करेगा । किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने के तत्काल उसी समय दिया जायेगा न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद किया जायेगा ।

4 यदि माल की सप्लाई में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो निविदादाता,के नियंत्रण से परे हो

5 तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति के साथ या उसके बिना करने को सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर अधिकृत होंगे ।

6. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा ।

इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक माह 2008 को अपने हस्ताक्षर किये ।

अनुमोदित सप्लायर के हस्ताक्षर